In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services– Chairman; (2) Administrative Officer/ Section Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member; (3) Any Group 'B' Gazetted Officer in Directorate of Forensic Science Services Cadre – Member.	Not applicable.

[F. No. DFSS/38(10)/2014]

NARENDER KUMAR,Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

सा.का.नि.10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी	717* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-10, (56100-177500 रु०)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति :- ऐसे प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-I जिन्होने वेतन मैट्रिक के स्तर -8, (47600-151100 रु०) में उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति :-

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग या ऐसे सदृश संगठन जैसे कि भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक, डाक और दूरसंचार लेखा, रेलवे लेखा आदि के ऐसे अधिकारी:-

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए है ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 या स्तर-8 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य -अध्यक्ष 2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी, जो ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से नीचे की पंक्ति का न हो -सदस्य 3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी, जो ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से नीचे की पंक्ति का न हो -सदस्य **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार - अध्यक्ष 2. महानिदेशक या प्रधान निदेशक या समतुल्य, - सदस्य 3. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या उप-महालेखाकार -सदस्य	प्रोन्नति के आधार पर पदों को भरने के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा.सं.ए-12018/05/2013-ई.जी]

निर्मला देव, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 17th January, 2020

G.S.R. 10.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Senior Divisional Accounts Officer) Recruitment Rules 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Divisional Accounts Officer in the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, Senior Divisional Accounts Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Divisional Accounts Officer	717* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 (Rs. 56100-177500)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Divisional Accounts Officer, grade I in level 8 of the pay matrix (Rs. 47600-151100) with two years' regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Indian Audit and Accounts Department or similar organisations such as Controller General of Accounts, Controller General of Defence Accounts, Post & Telecommunications Accounts, Railway Accounts, etc. of Government of India: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 or level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Chairman or Member of the Union Public Service Commission -Chairperson; (2) Officer, not below the rank of Senior Administrative Grade to be nominated by the Comptroller and Auditor General of India - Member; and (3) Officer, not below the rank of Senior Administrative Grade to be nominated by the Comptroller and Auditor General of India - Member **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Principal Accountant General or Accountant General -Chairperson; (2) Director General or Principal Director or equivalent —Member; and (3) Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General — Member.	Consultation of the Commission is necessary for filling the post on promotion basis.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/05/2013-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 11.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय (दुभाषिया संवर्ग) भर्ती नियम, 1994 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतदद्वारा विदेश मंत्रालय के दुभाषिया संवर्ग के कतिपय समूह 'क' पदों की भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

   i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश मंत्रालय (दुभाषिया संवर्ग) भर्ती नियम, 2020 है ।

   ii. ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू किया जाना.—** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **प्रारंभिक गठन.—** इन नियमों के लागू होने से तुरंत पहले प्रधान दुभाषिया (सुपर टाइम स्केल) के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले पदधारी को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा इन नियमों के लागू होने से तुरंत पहले संबंधित ग्रेड में ऊपर उल्लिखित पदधारी की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा की अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति, पुष्टिकरण इत्यादि के लिए अर्हक सेवा के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **अनर्हता.—** कोई व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या